छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

दूरभाष : 0771–2960539
सी.आई.एन. : U 14103 CT 2001 SGC 014691,
ई–मेल : cmdcraipur @gmail.com,
वेबसाइट : www.cmdc.co.in

मुख्य कार्यालय :
सेक्टर–24, ब्लॉक–ए, विंग–7(ए)
तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर
(छ.ग.) पिन नंबर 492015

विज्ञप्ति कमांक – 01/स्थापना/सीएमडीसी/2021 नवा रायपुर, दिनांक : 02.11.2021

(रिक्त पदों की पूर्ति बाबत)
विज्ञापन

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 में सीधी भरती के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के रिक्त शीघ्रलेखक ग्रेड–III एवं स्टेनोटायपिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक **26 दिसम्बर 2021** को लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी।

1. शीघ्रलेखक ग्रेड–III (हिन्दी) :– 01 पद –वेतन बैंड 5200–20200 ग्रेड वेतन –2800 (लेबल –7)

क्र.	वर्ग	पद संख्या				योग	वेतन मेट्रिक्स	शैक्षणिक अर्हता
		मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	निःशक्तजन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	अनारक्षित	01	0	0	0	01	लेवल–7	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्र लेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से – • शीघ्रलेखक हिन्दी के लिये:–हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) । (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
02	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0		
03	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0		
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0		

2. स्टेनोटायपिस्ट :– 01 पद –वेतन बैंड 5200–20200 ग्रेड वेतन –1900 (लेबल –4)

क्र.	वर्ग	पद संख्या				योग	वेतन मेट्रिक्स	शैक्षणिक अर्हता
		मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	निःशक्तजन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	अनारक्षित	01	0	0	0	01	लेवल–4	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
02	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0		
03	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0		
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0		

कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)
क्रमांक 2136
दिनांक 9/11/21
PC
JC(S)
परीक्षा JS
2223 9/11/21

नोट :– विस्तृत विज्ञापन परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि परीक्षा संचालन संबंधी अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यालय प्रमुख
सी.एम.डी.सी.–नवा रायपुर

D-Draive/Estt/New 10 post bharti 2021/Appointment for Add 10 post/

नियम एवं शर्ते :

(1) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाले चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (कमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) कमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) कमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) कमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

(2) **निर्धारित आयु सीमा :–**

(क) सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18–35 वर्ष होगी तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेंगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) सीधी भर्ती के समस्त पदों पर राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली उच्चतर आयु सीमा की छूट दी जावेगी।

(ग) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ड.) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तक तथा शर्तो के अधीन छूट दी जायेगी, अर्थात :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी,, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(तीन) जो अभ्यर्थी छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु–सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

(i) स्पष्टीकरण – शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हों ।

(ii) स्पष्टीकरण – सीधी भर्ती के कुछ पदों में अधिकतम आयु सीमा 40 एवं 45 वर्ष तक दी गई है जो उन पदों हेतु वांछित अनुभव एवं अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, परन्तु आयुसीमा संबंधित सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करते हुए, किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(च) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो सेवा आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :–

(i) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के आधीन मुक्त कर दिया गया हो ।

(ii) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें –

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवान्मुक्त कर दिया गया हो ।

(iii) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक,

(iv) संविदा पूरी होने पर सेवान्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है ।

(v) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवान्मुक्त किये गये हो ।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे ।

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।

(viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा से विधिक रूप से अलग किया गया हो ।

(छ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक है, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(त) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(थ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई नगर सेना की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी । किन्तु ऐसी छूट 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

(3) अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(4) विज्ञापित पदों में नियमानुसार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित है ।

(5) चयन हेतु अभ्यार्थी की पात्रता/अपात्रता के सम्बंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सी.एम.डी.सी. को होगा।

(6) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(7) चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटिनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछिड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य के जाति प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छान–बीन समिति से किए जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।

(8) उक्त विज्ञापित पद अधिसूचित क्षेत्रों (क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर/भानुप्रतापपुर/दंतेवाड़ा) के लिये भी है, अतः नियुक्ति इन क्षेत्रों में भी की जावेगी।

(9) पदों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

(10) महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उक्त पद पुरूष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

(11) विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक करने का निर्णय नियोक्ता का होगा ।

(12) उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार या लिखित (कौशल परीक्षा) अथवा दोनों के माध्यम से किया जावेगा। चयन प्रकिया का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

(13) कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतानें है, उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(14) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों के सबंध में उम्मीदवारों को कोई पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी, ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।

(15) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, अतएव नियुक्ति की शर्तो के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

(16) भर्ती की कार्यवाही एवं प्रकिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

कार्यालय प्रमुख
सी.एम.डी.सी.—नवा रायपुर
छ.ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

CHHATTISGARH MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD. • CMDC •

सेवा एवं भर्ती नियम–2014

यथा संशोधित–2020

कार्यालय प्रमुख
छ.ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

		9	सहा. प्रबंधक (विपणन)	21	35	(1) एम.कॉम अथवा एम.बी.ए. में कम से कम 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण । (2) एम.बी.ए. मार्केटिंग को वरीयता।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		10	सहा. प्रबंधक (सर्वे)	21	35	(1) माईनिंग में डिप्लोमा अथवा सिविल इंजीनियरिंग आई.टी.आई. से सर्वेयर ट्रेड में उत्तीर्ण । (2) डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से कम्पीटेन्सी सर्वेयर सर्टिफिकेट धारक हो । (3) 3 वर्ष का कार्यानुभव ।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		11	सहा. प्रबंधक (खान)	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किया हो। (2) मेटालिफेरस माइन्स रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत् खान सुरक्षा महा निदेशालय द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो। (3) मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड मेटल माईंस में न्यूनतम 02 वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिए। (4) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में सहा. खान प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		12	जुनि. फोरमेन	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी फोरमेन सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		13	उप अभियंता	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा कम से कम 60 प्रतिशत औसत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो। (2) डिप्लोमा धारक होने की स्थिति में किसी शासकीय अथवा निजी संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का कार्य का अनुभव हो।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		14	शीघ्रलेखक–ग्रेड III	18	35	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्र लेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से –	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति

Open Loc...

कार्यालय प्रमुख
छ.ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

						(क) शीघ्रलेखक हिन्दी के लिये :– हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) शीघ्रलेखक अंग्रेजी के लिये :– अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ग) द्विभाषीय शीघ्रलेखक के लिये :– ऊपर खण्ड क तथा ख में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
		15	स्टेनो टायपिस्ट	18	35	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		16	सहायक ग्रेड–III (नि.श्रे.लि.)	18	35	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति